यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के माह 04/2010 से 01/2017 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 25.02.2017 से 08.03.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस0के0 वर्मा एवं श्री अनुज कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 08.12.2010 से 20.12.2010 तक सम्पादित की गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2010 से 01/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई के अन्तर्गत केन्द्र, राज्य एवं जिला योजनाओं से स्वीकृत पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य अनुबन्ध एवं ग्राम स्वच्छता एवं पेयजल समितियों के माध्यम से किए जाते हैं तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं लेखाबन्दी के पश्चात् निर्मित योजनाओं को अनुरक्षण/रख–रखाव हेतु जल संस्थान को हस्तगत कर दिया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद उत्तरकाशी हैं, जिनमें पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत सात वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख रुपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2010–11	–	1254.986	145.658	145.658	312.090	1132.989	–	–		434.087
2011–12	–	434.087	161.308	161.308	524.307	291.865	–	–		666.529
2012–13	–	666.529	191.124	191.124	481.897	518.441	–	–		629.985
2013–14	–	629.985	205.316	205.316	536.753	528.961	–	–		637.777
2014–15	–	637.777	214.742	214.742	985.012	476.211	–	–		1146.578
2015–16	–	1146.578	253.923	253.923	580.270	1001.019	–	–		725.829
2016–17	–	725.829	245.463	245.463	359.190	744.010	–	–		341.009

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2010—11		115.940	0.000	0.000	—	115.940
2011—12		115.940	196.050	50.990	—	261.00
2012—13		261.00	75.870	213.973	—	122.897
2013—14	एन0आर0डब्ल्यू0 डी0 पी0	122.897	0.000	20.698	—	102.199
2014—15		102.199	56.690	84.000	—	74.889
2015—16		74.889	0.000	74.889	—	—
2016—17		—	89.530	44.127	—	45.403

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्र, राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाओं हेतु मुख्यालय एवं जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ब श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

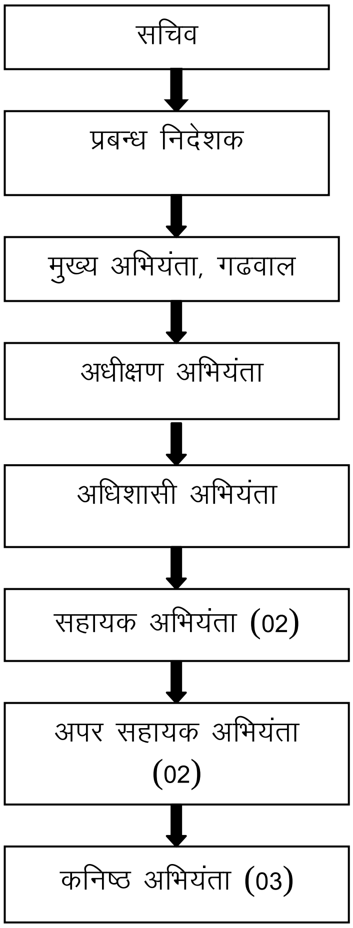

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी

अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2013, जनवरी 2014, मार्च 2016 एवं जनवरी 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया। इकाई में संचालित पेयजल योजनाओं में से 12 पेयजल योजनाओं का चयन विस्तृत विश्लेषण हेतु किया गया। प्रतिचयन प्रत्येक वर्ष के अन्तिम माह तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनॉक 07.03.2017 में माह फरवरी 2017 तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्ववार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी 31 मार्च 2016 तक की गई।

5. कार्यालय में फार्म 51 तैयार किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

6. कार्यालय में इस तरह के अभिलेख एवं सूचना तैयार किए जाने का प्रावधान नहीं है।

भाग–II 'अ'

प्रस्तर–1 पेयजल योजनाओं के निर्माण पर रु0 323.09 लाख निरर्थक व्यय।

शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वैप आधारित संग्राली–पाटा एवं बौंगाडी पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु रु0 558.46 लाख[1] की प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 2010)। स्वीकृति के सापेक्ष शाखा कार्यालय को अद्यतन रु0 546.49 लाख[2] प्राप्त हुए। स्वीकृत पेयजल योजनाओं के अनुसार संग्राली–पाटा पेयजल योजना से संग्राली, पाटा, बगियालगॉव ग्राम पंचायतों की 1891 जनसंख्या तथा बौंगाडी पेयजल योजना से ग्रांम पंचायत बौंगाडी, कुरोली, कंकराडी एवं थलन की 2450 जनसंख्या को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के उक्त पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि योजनाओं की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियंता (गढवाल) द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से पूर्व संग्राली–पाटा (24.11.2009) एवं बौंगाडी (21.11.2009) में प्रदान की गई, जबकि उत्तराखण्ड प्रोक्यूर्मेंट नियमावली 2008 के प्रस्तर 29 के अनुसार वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् विस्तृत आगणन पर प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए थी। आगे, जॉच में पाया गया कि स्वैप आधारित बहुल ग्राम की पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य दो भागों (i) श्रोत, गुरुत्वमेन एवं जलाशयों का कार्य अनुबन्ध के आधार पर ठेकेदारों द्वारा तथा (ii) वितरण लाईन एवं स्टैण्ड पोस्ट का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की ग्राम स्वच्छता एवं पेयजल समितियों के माध्यम से किया जाना था। दोनों पेयजल योजनाओं के प्रथम भाग के श्रोत, गुरुत्वमेन एवं जलाशयों के कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की गई (02.07.2010), जिसके सापेक्ष मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा एकमात्र निविदादाता मै0 के0बी0 एसोसिएट, देहरादून की निविदा को योजनाओं की प्राथमिकता एवं अवमुक्त धनराशि के जनहित में शीघ्र उपयोग किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकार की गई (04.09.2010)। दोनों पेयजल योजनाओं के कार्यों हेतु रु0 379.32 लाख (संग्राली–पाटाः रु0 163.88 लाख एवं बौंगाडीः रु0 215.44 लाख) के दो अनुबन्ध गठित किए गये, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समापन की तिथियॉ क्रमशः 25.10.2010 एवं 24.04.2012 थी। वास्तविक रुप से संग्राली–पाटा पेयजल योजना का कार्य रु0 167.56 लाख के साथ

---

[1] संग्राली–पाटा पे0यो0 : रु0 242.77 लाख एवं बौंगाडी पेयजल योजना : रु0 315.69 लाख

[2] संग्राली–पाटा पे0यो0 : रु0 237.42 लाख (07.10.2009 : रु0 63.00 लाख, 23.12.2010 : रु0 113.06 लाख एवं 19.04.2011 : रु0 61.36 लाख) एवं बौंगाडी पे0यो0 : रु0 309.07 लाख (07.10.2009 : रु0 108.26 लाख, 30.04.2010 : रु0 84.19 लाख, 23.12.2010 : रु0 80.00 लाख एवं वर्ष 2010 : रु0 36.62 लाख)

20.07.2014 एवं बौंगाडी पेयजल योजना का कार्य रु0 233.96 लाख के साथ 13.09.2014 में पूर्ण किए गये। अनुबन्ध के अनुरुप निर्मित पेयजल योजनाओं में प्रस्तावित एवं सम्पादित कार्यों का विवरण निम्नवत् थाः–

क्र0	कार्य का नाम	संग्राली–पाटा		बौंगाडी	
		प्रस्तावित	सम्पादित	प्रस्तावित	सम्पादित
1.	श्रोत कार्य	1 नग	1 नग	1 नग	1 नग
2.	गुरुत्वमेन (सप्लाई लाईन)	25350 मी0	23232.75 मी0	28760 मी0	28618 मी0
3.	जलाशय	3 नग	3 नग	4 नग	4 नग

दोनों पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण होने (जुलाई एवं सितम्बर 2014) एवं अन्तिम देयकों के भुगतान (सितम्बर 2014) किए जाने के एक वर्ष पश्चात् (18.09.2015) ठेकेदार द्वारा अवगत कराया गया कि संरेखण (alignment) की गलत डिजाइन के कारण योजना में पानी की आपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है। इसके पश्चात अधिशासी अभियंता ने भी सूचित किया (30.12.2015) कि संग्राली–पाटा योजना में लगभग 5.00 किमी0 पाईप लाईन का संरेखण (alignment) बदलना आवश्यक है क्योंकि पाईप लाईन इतनी डाउन बिछा दी गई है जिसके कारण पाईप लाईन में अत्यधिक दबाव (Back Pressure) होने के कारण पाईप के जोड छिटक रहे हैं तथा इस योजना से पेयजल आपूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है। इसीप्रकार, बौंगाडी पेयजल योजना के सम्बन्ध में बताया कि निर्माण के उपरान्त बादल फटने के कारण श्रोत पर दलदल एवं स्लिप जोन उत्पन्न हो गया है तथा कई बार मरम्मत किए जाने के बावजूद भी श्रोत सही नहीं हो पा रहा है जिसके कारण पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जिलाधिकारी द्वारा भी बौगाडी पेयजल योजना के सम्बन्ध में बताया (23.02.2016) कि गलत संरेखण (alignment) के कारण गॉवों में पानी नहीं पहुॅच पा रहा है, जिस पर अधिशासी अभियंता द्वारा सूचित किया (25.02.2016) कि निर्मित श्रोत स्लिप जोन में परिवर्तित हो गया है जिसके कारण योजना पर पानी चलाना सम्भव नहीं है। दोनों निर्मित पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति न होने पर शाखा कार्यालय द्वारा (06.05.2016) संग्राली–पाटा पेयजल योजना में संग्राली ग्राम पंचायत में ट्यूबैल की व्यवहार्यता (feasibility) कराई गई। जिसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी (अक्टूबर 2016) तथा उक्त स्थल पर ट्यूबैल हेतु बोर भी किया जा चुका था। योजना हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा था, प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होने पर संग्राली, पाटा एवं बगियालगांव को पेयजल आपूर्ति सुचारु हो जाएगी तथा बौंगाडी पेयजल योजना हेतु मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 528/2015 के अनुरुप एक अन्य योजना किशनपुर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना लागत रु0 770.84 लाख का आगणन तैयार कर शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका था (26.08.2016) जिसके अनुसार अन्य स्थल से पानी लिफ्ट कर पूर्व में निर्मित श्रोत एवं गुरुत्वमेन में बिछाई गई 28,618 मी0 में से 21,900 मी0 (80 एम0एम0) जी0आई0 पाईप को छोडकर शेष 7,528 मी0 गुरुत्वमेन, चारों जलाशयों, वितरण लाईन एवं स्टैंड पोस्टों को नई योजना में उपयोग में लाया जाएगा।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व में अनुबन्धों के माध्यम से निर्मित श्रोत एवं गुरुत्वमेन पर हुआ व्यय रु0 323.09 लाख[3] निरर्थक सिद्ध हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि संग्राली–पाटा पेयजल योजना में लगभग 5.00 किमी0 लाईन का संरेखण बदलना आवश्यक है क्योंकि पाईप लाईन इतनी डाउन बिछा दी गई है। जिसके कारण पाईप लाईन में अधिक दबाव होने के कारण पाईप के जोड छिटक जा रहे हैं। पेयजल आपूर्ति हेतु वर्तमान में ट्यूबैल बोर किया जा चुका है एवं योजना हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने पर पेयजल आपूर्ति की जाएगी। बौंगाडी पेयजल योजना के सम्बन्ध में बताया कि निर्मित श्रोत स्लिप जोन में परिवर्तित होने, संरेखण उचित न होने के कारण पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरुप किशनपुर ग्राम समूह पम्पिंग योजना का आगणन शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत शासनादेश के अनुसार योजनाओं पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत मानचित्र एवं भूगर्भवेता की निरीक्षण जॉच किया जाना चाहिए था, जो कि इन पेयजल योजनाओं में नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त संरेखण के गलत होने का तात्पर्य है कि विभागीय अभियंताओं द्वारा गुरुत्वमेन बिछाते समय उचित निरीक्षण नहीं किया। उपरोक्त से विदित है कि शाखा कार्यालय द्वारा शासनादेश के प्रावधानों का पालन नहीं किया, परिणामस्वरुप न केवल रु0 323.09 लाख का निरर्थक व्यय हुआ अपितु जनसंख्या को भी पेयजल आपूर्ति का लाभ नहीं मिल पाया।

अतः पेयजल योजनाओं के निर्माण पर रु0 323.09 लाख निरर्थक व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

[3] संग्राली–पाटा पे0यो0 : रु0 159,44,050.98 (व्यय रु0 16755502.98 – तीन जलाशयों की लागत रु0 8,11,452.00) एवं बौंगाडी पे0यो0 : रु0 163,64,586.40 (श्रोत : रु0 3,83,011.00 + गुरुत्वमेन 21,900 मी0 (80 एम0एम0) : रु0 159,81,575.40)

भाग–II ‘ब’

प्रस्तर–1 शासनादेश के प्रावधानों के विपरीत प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) की वसूली रु0 53.51 लाख के परिणामस्वरुप परिहार्य व्यय।

शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में जिला योजना के अन्तर्गत स्वैप आधारित संग्राली–पाटा एवं बौंगाडी पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु रु0 558.46 लाख[4] की प्रशासकीय अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 2010)। स्वीकृति आदेश के अनुसार योजनाओं की स्वीकृत लागत में किसी प्रकार का प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) देय नहीं था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के सम्बन्धित पेयजल योजनाओं के लेखा–अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि निर्माण शाखा कार्यालय द्वारा शासनादेश (27 मार्च 2010) में उल्लिखित प्रावधान एवं विस्तृत आगणनों के विपरीत जिला योजना के अन्तर्गत स्वैप आधारित संग्राली–पाटा एवं बौंगाडी पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित किए गये कार्यों पर 12.50 *प्रतिशत* की दर से रु0 53.51 लाख का प्रतिशत प्रभार वसूला गया, जो कि अनियमित था। यहॉ तक कि स्वीकृत विस्तृत आगणनों में भी किसी प्रकार का सेन्टेज प्रावधानित नहीं किया गया था। परिणामस्वरुप न केवल रु0 53.51 लाख की धनराशि संग्राली–पाटा एवं बौंगाडी पेयजल योजनाओं की स्वीकृत राशि से कटौती की गई अपितु प्रतिशत प्रभार वसूलने के कारण शासनादेश के प्रावधानों के विपरीत भी कार्य किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि सेन्टेज की कटौती अन्य पेयजल योजनाओं की भॉति ही की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि योजनाओं की स्वीकृत लागत में किसी प्रकार का सेन्टेज देय नहीं होगा।

अतः शासनादेश के प्रावधानों के विपरीत प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज) की वसूली रु0 53.51 लाख के परिणामस्वरुप परिहार्य व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

---

[4] संग्राली–पाटा पेयजल योजना : रु0 242.77 लाख एवं बौंगाडी पेयजल योजना : रु0 315.69 लाख

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 रायल्टी की वसूली न किए जाने के कारण रु0 2.67 लाख की राजस्व हानि।

शासन द्वारा रायल्टी हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 में राज्य के परिप्रेक्ष्य में समय–समय पर संशोधन किए गये। उक्त संशोधनों के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर एवं इसमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में हो, के लिए 07.08.2015 से रु0 90.00 प्रति घनमी0 के स्थान पर रु0 200.00 प्रति घनमी0 किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने 10.12.2015 रोक लगा दी गई एवं पुरानी दरों पर ही रायल्टी वसूलने हेतु आदेशित किया गया। शासन द्वारा हाई कोर्ट के आदेश 10.12.2015 के पश्चात् 26.02.2016 से 18.05.2016 तक रु0 200.00 प्रति घनमी0 के स्थान पर रु0 194.50 प्रति घनमी0 एवं 19.05.2016 से रु0 194.50 प्रति घनमी0 के स्थान पर रु0 154.00 प्रति घनमी0 कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के रायल्टी से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया कि निर्माण कार्यों पर पत्थर, बालू एवं मिट्टी जो ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गये थे, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी संशोधित दरों के आधार पर वसूल नहीं की गई थी। परिणामस्वरुप रु0 2.67 लाख (**संलग्नक–1**) की रायल्टी की वसूली देयकों से नहीं की गई, जबकि रायल्टी की वसूली ठेकेदार के प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर समय–समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। रायल्टी की वसूली न किया जाना न केवल ठेकेदार को अदेय लाभ पहुॅचाना हुआ, अपितु शासन को भी रु0 2.67 लाख के राजस्व से बंचित करना हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि संशोधित शासनादेश कार्यालय में प्राप्त न होने के कारण कटौती नहीं की जा सकी। संलग्नक में उल्लिखित कार्यो की पुनः समीक्षा की जाएगी एवं सही पाए जाने पर आगामी देयकों या अन्य कार्यों के देयकों से वसूली की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रायल्टी की वसूली प्रत्येक देयक से उपयोग किए गये खनिज पदार्थों पर की जानी चाहिए थी।

अतः रायल्टी की वसूली न किए जाने के कारण रु0 2.67 लाख की राजस्व हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

क्र0 सं0	कार्य का नाम	माप पुस्तिका के अनुसार			निर्धारित दर	वसूल की गई राशि	वसूली जाने वाली राशि	कम वसूली गई राशि
		माप की तिथि	प्रयुक्त पत्थर/ बालू ग्रीट	प्रदत्त दर				
1	Chalkiniya Sanari W/s	09.04.2016	171.48	80.00	194.50	13718.00	33352.86	19634.00
			36.08	90.00	194.50	3247.00	7018.00	3770.00
2	Panjiyala w/s scheme	14.04.2016	23.68	80.00	194.50	1894.00	4605.76	2711.00
			5.00	90.00	194.50	450.00	972.50	523.00
3	Panjiyala w/s scheme	12.04.2016	13.79	80.00	194.50	1103.00	2682.00	1579.00
			3.63	90.00	194.50	327.00	706.00	379.00
4	Gain (Batra) Part I	29.04.2016	19.38	80.00	194.50	1550.00	3769.41	2219.00
			0.55	90.00	194.50	50.00	106.98	57.00
5	Jagantra Scheme w/s	15.05.2016	11.39	80.00	194.50	911.00	2215.36	1304.00
			2.29	90.00	194.50	206.00	445.41	239.00
6	Baledi Inter College	04.06.2016	27.11	80.00	154.00	2169.00	4174.94	2006.00
			7.85	90.00	154.00	707.00	1208.90	502.00
7	Singot New Basti	21.05.2015	0.70	80.00	154.00	56.00	108.00	52.00
			0.30	90.00	154.00	27.00	46.00	19.00
8	Kuraha Anusuchit Jati Basti w/s	20.05.2016	32.18	80.00	154.00	2574.00	4955.72	2381.00
			5.45	90.00	154.00	491.00	839.30	349.00
9	Bidehi Nomitok	25.05.2016	26.00	80.00	154.00	2080.00	4004.00	1924.00
			13.00	90.00	154.00	1170.00	2002.00	832.00
10	Malti Dhanti Noli Tamdan	14.06.2016	38.53	80.00	154.00	3082.00	5934.00	2851.00
			6.17	90.00	154.00	555.00	950.00	395.00
11	Payana w/s scheme	23.06.2016	8.03	80.00	154.00	642.00	1236.62	594.00
			2.53	90.00	154.00	228.00	389.62	162.00
12	Jakhari	07.06.2016	0.36	80.00	154.00	28.80	55.44	26.64
			0.18	90.00	154.00	16.20	27.72	11.52
13	Doli	14.06.2016	0.66	80.00	194.50	52.80	128.37	75.57
			0.73	90.00	194.50	65.70	141.99	76.29
14	Beludi Inter College	11.04.2016	28.91	80.00	194.50	2312.80	5623.00	3310.20
			3.55	90.00	194.50	319.50	690.44	370.98
15	Badangada Udri	08.03.2016	16.30	80.00	194.50	1304.00	3170.35	1866.35
			6.23	90.00	194.50	560.70	1211.74	651.04
16	Bugatok w/s scheme	30.08.2015	88.29	80.00	200.00	7063.20	17658.00	10594.80
			9.70	90.00	200.00	873.00	1940.00	1067.00
17	Singot New Basti	04.04.2016	5.53	80.00	194.50	442.40	1075.59	633.19
			1.84	90.00	194.50	165.60	357.88	192.28
18	Tildhar W/S Scheme(9L, 77-79)	13.03.2016	25.96	80.00	194.50	2076.80	5049.22	2972.42
			6.16	90.00	194.50	554.40	1198.12	643.72
19	Payan w/s scheme	13.03.2016	31.93	80.00	194.50	2554.40	6210.39	3655.99
			4.81	90.00	194.50	432.90	935.55	502.65
20	Lohari W/S Scheme	02.04.2016	22.33	80.00	194.50	1786.40	4343.19	2556.79
			7.11	90.00	194.50	639.90	1382.90	743.00
21	Maneti	03.05.2016	23.06	80.00	194.50	1844.80	4485.17	2640.37
			1.09	90.00	194.50	98.10	212.005	113.91

22	Pama Dokhri W/S	02.04.2016	13.92	80.00	194.50	1113.60	2707.44	1593.84
			2.52	90.00	194.50	226.80	490.14	263.34
23	Chhapra Gad (mainance)	17.04.2016	22.66	80.00	194.50	1812.80	4407.37	2594.57
			7.09	90.00	194.50	638.10	1379.01	740.91
24	Jaspur (Ext.) w/s scheme	04.04.2016	27.14	80.00	194.50	2171.20	5278.73	3107.53
			5.51	90.00	194.50	495.90	1071.70	575.80
25	Tuliyada(Ext) W/S Scheme	10.05.2016	20.26	80.00	194.50	1620.80	3940.57	2319.77
			6.08	90.00	194.50	547.20	1182.56	635.36
26	Srikal Khal W/S	09.03.2016	53.82	80.00	194.50	4305.60	10467.99	6162.39
			9.21	90.00	194.50	828.90	1791.345	962.45
27	Kuwan W/S Scheme	03.03.2016	84.64	80.00	194.50	6771.20	16462.48	9691.28
			9.33	90.00	194.50	839.70	1814.69	974.99
28	Bhald Gaon(312L, 147-149)		14.34	80.00	194.50	1147.20	2789.13	1641.93
			3.58	90.00	194.50	322.20	696.31	374.11
29	Jadao w/s Scheme	03.07.2016	20.21	80.00	154.00	1616.80	3112.34	1495.54
			4.14	90.00	154.00	372.60	637.56	264.96
30	Syori Jalai W/S Scheme	03.07.2016	60.30	80.00	154.00	4824.00	9286.20	4462.20
			13.75	90.00	154.00	1237.50	2117.50	880.00
31	Dewal Sai W/S Scheme	16.06.2016	32.58	80.00	154.00	2606.40	5017.32	2410.92
			4.15	90.00	154.00	373.50	639.10	265.60
32	Bidehi Nomitok	02.07.2016	10.82	80.00	154.00	865.60	1666.28	800.68
			5.40	90.00	154.00	486.00	831.60	345.60
33	Bhitri vaika Pani	19.07.2016	62.35	80.00	154.00	4988.00	9601.90	4613.90
			25.10	90.00	154.00	2259.00	3865.40	1606.40
34	Bhitri Natural Source	19.07.2016	53.04	80.00	154.00	4243.20	8168.16	3924.96
			9.77	90.00	154.00	879.30	1504.58	625.28
35	Dora tok W/S Scheme	28.06.2016	11.87	80.00	154.00	949.60	1827.98	878.38
			1.64	90.00	154.00	147.60	252.56	104.96
36	Barqa tok	20.09.2016	41.12	80.00	154.00	3289.60	6332.48	3042.88
			4.19	90.00	154.00	377.10	645.26	268.16
37	Pasigad to Dardagaon	21.08.2016	18.51	80.00	154.00	1480.80	2850.54	1369.74
			5.72	90.00	154.00	514.80	880.88	366.08
38	Taluka Maradi W/S Scheme	24.07.2016	48.74	80.00	154.00	3899.20	7505.96	3606.76
			5.02	90.00	154.00	451.80	773.08	321.28
39	Salu(Ext.)	13.10.2015	42.09	80.00	154.00	3367.20	6481.86	3114.66
			11.50	90.00	154.00	1035.00	1771.00	736.00
40	Dhakara chari Source maint W/S	23.04.2016	37.07	80.00	194.50	2965.60	7210.12	4244.52
			3.97	90.00	194.50	357.30	772.17	414.87
41	kheda Part II W/S Scheme	01.10.2016	2.41	80.00	154.00	192.80	371.14	178.34
			1.68	90.00	154.00	151.20	258.72	107.52
42	Godi Kheda w/s Scheme	04.04.2016	20.07	80.00	194.50	1605.60	3903.62	2298.02
			3.34	90.00	194.50	300.60	649.63	349.03
43	khandgaon(ext)	04.09.2016	138.46	80.00	154.00	11076.80	21322.84	10246.04
			43.18	90.00	154.00	3886.20	6649.72	2763.52
44	Pindki w/s Scheme	24.06.2016	13.18	80.00	154.00	1054.40	2029.72	975.32
			0.30	90.00	154.00	27.00	46.20	19.20
45	Pujeli Pavat	14.06.2016	5.34	80.00	154.00	427.20	822.36	395.16
			0.91	90.00	154.00	81.90	140.14	58.24

46	Pujeli Dhatudi	13.10.2016	6.76	80.00	154.00	540.80	1041.04	500.24
			1.24	90.00	154.00	111.60	190.96	79.36
47	Kiya dhara Bendai w/s scheme	13.10.2016	9.83	80.00	154.00	786.40	1513.82	727.42
			0	90.00	154.00	0	0	0
48	Seedak w/s scheme	29.04.2016	6.07	80.00	194.50	485.60	1180.62	695.02
			1.93	90.00	194.50	173.70	375.39	201.69
49	Sunara main(Ext.)	28.04.2016	2.50	80.00	194.50	200.00	486.25	286.25
			0.30	90.00	194.50	27.00	58.35	31.35
50	Bagasu w/s scheme	29.04.2016	15.92	80.00	194.50	1273.60	3096.44	1822.84
			0.60	90.00	194.50	54.00	116.70	62.70
51	Kiroli w/s scheme	29.04.2016	56.76	80.00	194.50	4540.80	11039.82	6499.02
			11.43	90.00	194.50	1028.70	2223.14	1194.44
52	Khurmola Nagkhala	16.06.2016	49.80	80.00	154.00	3984.00	7669.20	3685.20
			8.13	90.00	154.00	731.70	1252.02	520.32
53	Dangudhar w/s scheme	16.06.2016	16.34	80.00	154.00	1307.20	2516.36	1209.16
			2.83	90.00	154.00	254.70	435.82	181.12
54	Tuliyada W/S Scheme	11.07.2016	39.07	80.00	154.00	3125.60	6016.78	2891.18
			7.47	90.00	154.00	672.30	1150.38	478.08
55	Devjani w/s scheme	20.07.2016	78.65	80.00	154.00	6292.00	12112.10	5820.10
			0	90.00	154.00	0	0	0
56	Malla thel w/s scheme	28.11.2015	27.10	80.00	200.00	2168.00	5420.00	3252.00
			2.55	90.00	200.00	229.50	510.00	280.50
57	Vingsi THS scheme	08.04.2016	38.05	80.00	194.50	3044.00	7400.73	4356.73
			11.55	90.00	194.50	1039.50	2246.48	1206.98
58	Chatari w/s scheme	08.04.2016	119.92	80.00	194.50	9593.60	23324.44	13730.84
			28.11	90.00	194.50	2529.90	5467.40	2937.50
59	Matiyali Chhani w/s scehme	04.04.2016	18.00	80.00	194.50	1440.00	3501.00	2061.00
			2.70	90.00	194.50	243.00	525.15	282.15
60	Banitok w/s scheme	03.04.2017	29.22	80.00	194.50	2337.60	5683.29	3345.69
			6.24	90.00	194.50	561.60	1213.68	652.08
61	Chopadidhar	05.04.2018	36.26	80.00	194.50	2900.80	7052.57	4151.77
			11.69	90.00	194.50	1052.10	2273.71	1221.61
62	Bongari	10.05.2016	29.87	80.00	194.50	2389.60	5809.72	3420.12
			10.11	90.00	194.50	909.90	1966.40	1056.50
63	Paunti Godari	03.04.2016	29.44	80.00	194.50	2355.20	5726.08	3370.88
			7.99	90.00	194.50	719.10	1554.06	834.96
64	Hudoli w/s scheme	09.04.2016	42.96	80.00	194.50	3436.80	8355.72	4918.92
			12.69	90.00	194.50	1142.10	2468.21	1326.11
65	Silyan Akhroti	09.04.2017	31.49	80.00	194.50	2519.20	6124.81	3605.61
			7.06	90.00	194.50	635.40	1373.17	737.77
66	malla Ratlha w/s scheme	22.06.2016	29.17	80.00	154.00	2333.60	4492.18	2158.58
			7.46	90.00	154.00	671.40	1148.84	477.44
67	chatanami w/s scheme	22.06.2016	21.00	80.00	154.00	1680.00	3234	1554.00
			6.27	90.00	154.00	564.30	965.58	401.28
68	Thatak ext. w/s scheme	20.06.2016	3.00	80.00	154.00	240.00	462.00	222.00
			0.30	90.00	154.00	27.00	46.20	19.20
69	Thanki bhank w/s scheme	21.10.2015	141.43	80.00	154.00	11314.40	21780.22	10465.82
			28.26	90.00	154.00	2543.40	4352.04	1808.64
	Total:							**267124.54**

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 पूर्ण पेयजल योजनाओं पर हुए व्यय रु0 32.26 करोड की अन्तिम लेखाबन्दी न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–V के प्रस्तर–514 प्रावधानित करता है कि किसी भी निर्माण कार्य के वास्तविक रुप से पूर्ण हो जाने के पश्चात् उसकी लेखाबंदी की जानी चाहिए तथा प्रस्तर–515 निर्देशित करता है कि लेखाबंदी से पूर्व नियमानुसार कार्य पूर्ण करने में हुए समस्त व्ययों को समायोजित कर लिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि जून 2009 से दिसम्बर 2016 के दौरान पूर्ण हो चुकी 188 पेयजल योजनाओं, जिन पर रु0 32.26 करोड व्यय किया जा चुका था, (**संलग्नक–2**) पूर्ण होने के पश्चात् भी लेखापरीक्षा अवधि अर्थात फरवरी 2017 तक अन्तिम लेखाबन्दी नहीं की गई थी। परिणामस्वरुप इन कार्यों के पूर्ण होने की वास्तविकता एवं सुचारु रुप से उपयोगिता सिद्व होने पर प्रश्नचिन्ह लगता है। कार्यालय में इस तरह के स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जो यह पुष्टि करे कि उक्त पूर्ण पेयजल योजनाओं से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो पा रही है जिनके लिए इनका निर्माण किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा उत्तर में बताया कि पूर्ण योजनाऐं जल संस्थान को हस्तगत न हो पाने के कारण लेखाबन्दी नहीं की जा सकी, जिस हेतु कार्रवाई गतिमान है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अविलम्ब योजनाओं की अन्तिम लेखाबन्दी की जानी चाहिए थी।

अतः पूर्ण पेयजल योजनाओं पर हुए व्यय रु0 32.26 करोड की अन्तिम लेखाबन्दी न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–2

Sl. No.	Scheme Name	Sanction Date	Completion Date	Total Sanctioned	Total Released	Total Expenditure
1	Aaladanda w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.01	1.99	1.99
2	Akatiyan w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.99	2.90	2.90
3	Angoda w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.73	1.69	1.69
4	Bedogkheda w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.99	1.97	1.97
5	Bentadhar w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	6.14	6.11	6.12
6	Bentasaur w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	3.10	3.02	3.02
7	Bhaldgaon w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.26	2.22	2.22
8	Bongadi w/s scheme	11/4/2014	30/09/2015	12.11	11.74	11.74
9	Chandeli w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.53	2.50	2.52
10	Chantanami w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.35	2.29	2.29
11	Choprali w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	4.04	3.84	3.85
12	Dandakyari w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	3.12	3.06	3.07
13	Darmamailli w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.90	1.88	1.88
14	Darson w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	3.56	1.74	1.74
15	Devli w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	9.93	9.51	9.51
16	Dharali w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	4.36	4.12	4.12
17	Didsari w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.02	1.90	1.90
18	Godi dugadda w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.85	2.82	2.82
19	Gunali w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	3.77	3.77	3.77
20	Jakhali w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.71	1.68	1.68
21	Jamak w/s scheme	11/6/2014	30/09/2015	2.80	2.71	2.71
22	Kanderi w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.80	1.78	1.78
23	Kansola w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.53	2.51	2.50
24	Khansi w/s scheme	11/6/2014	31/05/2015	2.84	2.81	2.82
25	Kumala w/s scheme	11/6/2014	31/05/2015	10.78	10.52	10.52
26	Kumali w/s scheme	11/6/2014	31/05/2015	3.61	3.58	3.58
27	Lodu w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.80	1.59	1.59
28	Lohriyo ki gheghri w/s scheme	11/6/2014	31/05/2015	1.69	1.66	1.66
29	Maradi singoth w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	3.85	3.71	3.71
30	Matiyali chani w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.85	2.79	2.79
31	Matiyalod w/s scheme	11/6/2014	31/05/2015	2.51	2.46	2.46
32	Mayara (gadoli) w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	3.20	3.20	3.30
33	Nagadgaon w/s scheme	11/6/2014	31/05/2015	2.80	2.69	2.68
34	Nichla panoth w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.48	1.41	1.41
35	Nichli dhadoli w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.92	2.88	2.88
36	Nuranu w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	7.59	7.45	7.44
37	Pasa w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	3.03	2.94	2.94
38	Payana w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.65	2.57	2.58
39	Revasidhar w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	2.83	2.77	2.77
40	Satra w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	3.04	2.98	2.98
41	Saturi w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.97	1.96	1.96
42	Saundhgaon w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.64	1.58	1.58
43	Sunara w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.76	1.74	1.74
44	Syuri w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	3.25	3.22	3.22
45	Thahak w/s scheme	11/6/2014	30/04/2015	1.89	1.89	1.90
46	Akatiyan w/s scheme (swap)	1/7/2010	31/03/2013	20.41	20.41	16.00
47	Akhoti w/s scheme (swap)	1/1/2012	31/03/2013	16.30	14.52	15.5
48	Anandvan (ext.) w/s scheme	1/11/2011	30/11/2013	3.50	3.50	1.63
49	Athangaon w/s scheme	1/2/2013	31/03/2016	31.39	31.39	31.97
50	Badangda w/s scheme	14/05/2015	31/12/2016	2.00	2.00	2.00
51	Badimani bhald (ext 2013-14)	30/05/2013	0	6.00	6.00	6.82
52	Baidogkheda (ext 2013-14) w/s	30/05/2013	30/06/2014	4.00	4.00	4.13
53	Baidogkheda (ext. 12-13) w/s	1/10/2012	31/12/2013	11.00	11.00	10.32
54	Bareth (ext 2013-14)	30/05/2013	30/09/2015	7.00	7.00	7.37
55	Bareth w/s scheme	25/08/2003	29/07/2013	90.41	90.41	90.40
56	Beldanda w/s scheme	1/10/2009	31/12/2013	22.41	22.41	22.71
57	Bhadali w/s schme	1/1/2012	31/03/2014	22.66	22.66	25.27
58	Bhaldgaon w/s scheme (ext)	29/05/2014	31/08/2016	1.50	1.00	1.70
59	Bhandarka w/s scheme	1/4/2014	30/09/2015	38.43	38.43	36.00
60	Bhandarsyu w/s scheme	14/05/2015	31/12/2016	2.20	2.00	2.00
61	Bichlamath w/s scheme	27/10/2005	31/01/2016	24.72	24.72	24.34
62	Chamali tok (jakhol) w/s scheme	1/10/2013	31/12/2015	25.37	25.37	26.38
63	Chamroli w/s scheme	1/10/2009	31/03/2013	27.00	27.00	24.61

64	Chanta (udri) w/s scheme (ext)	14/05/2014	31/12/2016	1.03	1.00	1.00
65	Churyani w/s scheme (swap)	1/11/2010	31/03/2013	79.98	79.98	79.02
66	Devli w/s schme (swap)	1/11/2010	31/12/2015	83.64	83.64	70.15
67	Dhandi name tok (silyan) w/s	14/05/2015	31/12/2016	3.00	3.00	3.00
68	Didsari (ext.) w/s scheme	1/10/2012	31/12/2015	6.00	6.00	6.32
69	Doni (binai) w/s scheme	1/1/2013	29/02/2016	19.34	19.34	16.10
70	Emra w/s scheme (swap)	1/1/2012	31/03/2013	18.07	18.07	20.01
71	Esali w/s scheme	28/11/2000	31/03/2015	46.90	46.90	46.73
72	Gairi w/s scheme (swap)	1/12/2012	30/12/2014	16.84	16.84	17.88
73	Ganna (ext) w/s scheme	1/10/2012	29/02/2016	7.00	7.00	5.91
74	Hataru w/s scheme (swap)	1/10/2009	31/12/2013	52.73	52.73	54.75
75	Jakhali w/s scheme (swap)	1/10/2009	31/03/2013	16.53	16.53	15.24
76	Jamak w/s scheme (swap)	2/1/2012	31/03/2015	20.34	20.34	21.15
77	Jawla w/s scheme	1/10/2009	31/10/2015	20.60	20.60	16.96
78	Kanardoi w/s scheme	1/11/2009	30/04/2015	53.66	53.66	55.94
79	Kandari (ext 2013-14) w/s scheme	30/05/2013	30/06/2014	8.00	8.00	8.66
80	Kandarkhola w/s scheme (swap)	1/12/2012	31/05/2015	34.58	34.58	33.47
81	Kanderi w/s scheme	1/10/2009	30/06/2014	47.51	47.51	43.04
82	Kasedi w/s scheme (swap)	3/11/2010	31/12/2015	40.85	40.85	39.63
83	Kawadhar w/s scheme	1/12/2012	31/08/2015	10.00	9.98	9.88
84	Kharwan w/s scheme	1/10/2009	31/03/2013	20.68	20.68	21.32
85	Khaterwari w/s scheme	1/10/2009	31/12/2013	23.52	23.52	23.41
86	Khatikhal (garat) w/s scheme	1/3/2013	31/03/2016	19.83	19.83	21.33
87	Khod w/s schme	1/1/2012	31/03/2014	28.20	28.20	30.40
88	Khodka (ext) w/s scheme	1/10/2012	31/08/2015	5.00	5.00	5.07
89	Khurmola (ext.) w/s scheme	1/10/2012	30/09/2015	8.00	8.00	6.26
90	Kimladi w/s scheme (swap)	1/10/2010	31/12/2015	22.39	22.39	21.51
91	Kishanpur w/s	17/08/1993	13/10/2012	67.50	67.50	67.07
92	Kondhar w/s scheme (s)	2/1/2009	30/04/2015	24.46	24.46	24.65
93	Kothbagi w/s scheme	1/12/2013	30/06/2015	25.75	25.75	19.78
94	Kumanda w/s scheme (swap)	1/12/2012	31/12/2013	31.98	31.98	33.77
95	Kutori w/s scheme (swap)	1/11/2010	31/03/2015	34.27	34.27	33.09
96	Maansour w/s scheme	1/12/2012	31/03/2015	26.04	26.04	23.54
97	Makheli w/s scheme (swap)	4/11/2010	31/03/2014	15.56	15.56	11.89
98	Maldori w/s scheme	1/9/2009	31/12/2015	10.64	10.64	8.92
99	Malla raithal (ext.) w/s scheme	1/10/2012	30/06/2013	6.00	6.00	5.99
100	Matla w/s scheme (swap)	1/1/2012	31/12/2013	12.63	12.63	13.78
101	Mugaon w/s scheme	1/12/2012	31/12/2015	19.23	19.23	18.15
102	Nakorchak w/s scheme (swap)	1/1/2012	31/08/2015	11.48	11.48	12.90
103	Naluka tok (ext) w/s scheme	1/10/2012	31/12/2014	8.00	8.00	6.51
104	New basti (singot) w/s scheme	14/05/2015	31/12/2016	4.00	2.00	2.11
105	Nichli sarsali (gainchwangaon)w/s	1/10/2013	31/07/2015	22.02	22.02	22.99
106	Odadhar w/s scheme (swap)	1/10/2009	31/12/2014	57.92	57.92	61.52
107	Okhti (maint) w/s scheme	14/05/2015	31/12/2016	2.00	2.00	2.00
108	Pagara w/s scheme (swap	11/7/2010	31/03/2013	15.90	15.90	13.23
109	Paliyara (nuranu) w/s scheme	1/3/2013	31/08/2015	47.97	47.97	50.10
110	Patisour w/s scheme (swap)	11/10/2010	30/06/2014	26.83	26.83	22.33
111	Pawn talla w/s scheme	1/4/2014	31/03/2016	15.66	15.66	15.66
112	Pitrisour (boun) w/s scheme	1/1/2011	31/03/2014	20.61	20.60	21.63
113	Pujargaon w/s scheme	25/07/2006	30/03/2010	86.88	86.88	86.89
114	Pujargaon w/s scheme (swap)	1/1/2012	31/12/2014	11.64	11.64	12.29
115	Rawayidhar w/s scheme	1/4/2014	31/01/2016	14.90	9.86	12.17
116	Rigaljakh w/s scheme (swap)	5/11/2010	31/03/2014	32.19	32.19	29.30
117	Sangamchati w/s scheme	1/10/2009	31/03/2014	22.97	22.97	16.00
118	Saturi (ext 2013-14) w/s scheme	30/05/2013	29/02/2016	5.00	5.00	5.27
119	Silkyara w/s scheme (swap)	1/11/2010	31/03/2013	24.98	24.98	21.72
120	Sirsatta w/s scheme	1/10/2009	30/11/2011	16.67	16.67	15.85
121	Srikalkhal (ext.) w/s scheme	1/10/2012	30/09/2015	4.00	4.00	4.50
122	Srikalkhal w/s scheme	25/08/2003	29/06/2009	38.88	38.88	38.88
123	Syaba (ext.) w/s scheme	1/10/2012	31/12/2013	6.00	6.00	5.47
124	Syalab sukan w/s schme	1/1/2012	29/02/2016	99.27	99.27	50.91
125	Syuri (ext 2013-14) w/s scheme	30/05/2013	30/06/2014	8.00	8.00	8.66
126	Taluka se marodi w/s scheme	14/05/2015	31/08/2016	3.00	2.00	5.84
127	Tansa w/s scheme (swap)	1/1/2012	31/03/2014	20.76	20.76	22.67
128	Thahak w/s scheme	1/10/2009	30/06/2014	43.4	43.40	43.81
129	Tilhari tok w/s scheme (swap)	1/12/2012	31/03/2015	21.01	21.01	23.07
130	Tipri (ext.) w/s scheme	1/10/2011	31/03/2016	14.40	14.40	14.70
131	Villamatha w/s scheme (swap)	1/7/2010	31/12/2015	9.14	9.14	6.65

132	Visangani w/s scheme	1/10/2009	30/11/2011	15.71	15.71	14.77
133	Aala mairana (karda) w/s scheme	1/11/2013	30/04/2015	20.36	20.36	21.27
134	Aladanda w/s scheme	2/3/2010	28/02/2014	37.53	37.53	38.17
135	Bagasu w/s sheme	14/05/2015	31/12/2016	3.00	3.00	3.00
136	Barsali w/s scheme	14/05/2015	31/12/2016	2.00	2.00	2.08
137	Bignadhar w/s scheme	1/2/2013	31/03/2015	40.84	40.84	43.45
138	Binala w/s scheme	1/3/2010	30/09/2012	35.34	35.34	33.07
139	Dangudhar w/s scheem	14/05/2015	31/12/2016	3.00	3.00	3.00
140	Dhanti ka pani (matti) w/s scheme	14/05/2015	31/12/2016	4.00	3.00	3.00
141	Dhelud (majiyani) w/s scheme	1/2/2013	30/04/2015	24.00	24.00	25.74
142	Estar w/s scheme	1/3/2010	31/12/2014	48.30	48.30	51.54
143	Gandasu w/s scheme	6/11/2010	31/12/2014	32.86	32.86	22.77
144	Himari w/s scheme	1/11/2010	31/12/2014	35.06	35.06	34.09
145	Hudoli/gaida w/s scheme	29/05/2014	31/07/2016	4.50	4.50	4.50
146	Kailav halai w/s scheme	1/4/2014	31/10/2015	40.73	40.73	42.28
147	Khadi w/s scheme	1/11/2009	31/03/2013	23.25	23.25	20.95
148	Khala nami tok w/s scheme	1/4/2014	31/12/2015	36.48	27.48	26.31
149	Khand w/s scheme	1/11/2010	31/12/2015	41.95	41.95	31.48
150	Khila w/s scheme	3/2/2012	31/12/2015	29.46	29.46	32.07
151	Kurah (barsali) w/s scheme	14/05/2015	31/12/2016	2.12	2.00	2.00
152	Maajaf (godikhal) w/s scheme	14/05/2015	18/07/2016	11.00	11.00	11.41
153	Majipala (uprikot) w/s scheme	6/2/2013	31/12/2014	13.19	13.19	13.93
154	Malla raithal w/s scheme	28/08/2003	31/03/2011	33.68	33.68	33.69
155	Matala w/s scheme	1/11/2009	31/12/2015	40.58	40.58	36.18
156	Matiyalichani (reorg) w/s scheme	14/05/2015	31/03/2016	5.00	2.00	8.88
157	Mayara w/s scheme	1/11/2009	31/10/2011	47.76	47.76	52.97
158	Nagkhala payasari w/s scheme	14/05/2015	31/12/2016	3.08	3.00	3.00
159	Payana w/s scheme	1/11/2009	30/06/2013	28.64	28.64	31.06
160	Pipla w/s scheme	28/04/2006	31/12/2015	14.96	14.96	14.94
161	Rawadakhada w/s scheme	4/11/2009	31/12/2011	42.47	42.47	40.83
162	Simanda w/s scheme	4/11/2010	31/12/2015	17.49	17.49	16.67
163	Sunana w/s scheme	1/12/2012	31/03/2015	24.42	24.42	25.73
164	Syuri jalayi w/s scheme (ext)	14/05/2015	1/8/2016	12.00	11.00	11.00
165	Talla walla w/s scheme	2/3/2010	31/12/2012	7.89	7.89	6.20
166	Thatak w/s scheme	1/4/2014	31/01/2016	40.35	40.35	41.85
167	Tipri (thati dichli) w/s scheme	3/2/2006	30/06/2009	22.00	22.00	22.00
168	Diggi constructiion	18/12/2008	31/03/2015	89.18	87.02	87.51
169	Baidogkheda w/s scheme	25/05/2011	31/05/2015	1.98	1.56	1.95
170	Banai tok w/s scheme	25/05/2011	30/06/2015	1.93	1.52	1.95
171	Chak chandeli w/s scheme	25/05/2011	30/04/2015	1.67	1.30	1.62
172	Chantanami tok w/s scheme	25/05/2011	30/06/2015	4.00	2.82	3.47
173	Dhamiya tok	31/03/2009	30/04/2013	82.22	71.00	62.27
174	Dibla pani	31/01/2010	30/09/2014	27.29	20.46	24.37
175	Garh tok w/s scheme	25/05/2011	30/04/2015	1.95	1.52	1.86
176	Jakhot w/s scheme	31/01/2010	30/09/2014	27.72	20.10	24.46
177	Khurmola w/s scheme	25/05/2011	31/05/2015	2.00	1.45	1.93
178	Kongarh tok	31/01/2009	30/09/2015	23.50	23.32	14.90
179	Maradi singot w/s scheme	25/05/2011	31/05/2015	6.12	4.60	5.61
180	Matiyala tok w/s scheme	25/05/2011	30/04/2015	1.43	1.12	1.40
181	Mithanu	31/12/2011	31/08/2014	1.06	0.94	1.17
182	Nichli dhadoli w/s scheme	25/05/2011	31/05/2015	1.99	1.50	1.88
183	Phooldhar (patkola) w/s scheme	25/05/2011	31/05/2015	2.61	1.91	2.37
184	Sada w/s scheme	25/05/2011	30/04/2015	2.43	1.88	2.29
185	Sirgapurti tok w/s scheme	25/05/2011	30/03/2015	1.76	1.23	1.60
186	Syalna w/s scheme	25/05/2011	31/05/2015	1.90	1.40	1.71
187	Talla baksari tok	31/03/2009	31/01/2016	61.33	52.98	48.48
188	Varuna w/s scheme	25/05/2011	30/04/2015	1.91	1.36	1.65
	Total :			**3402.62**	**3327.42**	**3226.18**

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 योजनाओं को समय पर हस्तान्तरण न किए जाने के कारण अनुरक्षण/रख–रखाव पर रु0 25.57 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड पेयजल निगम के कार्यप्रणाली नियमावली के अनुसार विभाग का कार्य राज्य में पेयजल योजनाएं बनाने, डिजाइन, उसका निर्माण, सीवरेज, ड्रेनेज कार्य तथा निक्षेप कार्य करना है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा पेयजल की ऐसी योजनाऐं जो पूर्ण हो चुकी हों, की शीघ्र लेखाबन्दी कर जल संस्थान को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए तथा अवशेष धनराशि के समर्पण की कार्यवाही करना चाहिए। जल संस्थान द्वारा ही ऐसी योजनाओं के अनुरक्षण/रख–रखाव पर व्यय किया जाना अपेक्षित था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि दो पेयजल योजनाओं (बडेथ ग्राम समूह पेयजल योजना एवं सालू विस्थापन पेयजल योजना) जिनकी लागत क्रमशः रु0 90.41 लाख एवं रु0 77.04 लाख थी, पर सम्पूर्ण धनराशि व्यय होने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा अवधि अर्थात फरवरी 2017 तक जल संस्थान को हस्तगत नहीं की गई थी एवं उनके अनुरक्षण/रख–रखाव पर रु0 25.57 लाख (बडेथ ग्राम समूह पेयजल योजना : रु0 20.57 लाख एवं सालू विस्थापन पेयजल योजना : रु0 5.00 लाख) का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया कि योजनाऐं पूर्ण होने पर जल संस्थान तत्काल स्थानान्तरण नहीं करता है। इस अन्तराल में वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त होने के कारण एवं क्षेत्रीय जनता की मांग पर जल आपूर्ति करने हेतु शाखा कार्यालय अपने संसाधनों से मरम्मत करता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमतः कार्य पूर्ण होने के तत्काल पश्चात् ही योजनाओं को जल संस्थान को हस्तान्तरित किया जाना चाहिए था।

अतः योजनाओं को समय पर हस्तान्तरण न किए जाने के कारण अनुरक्षण/रख–रखाव पर हुए रु0 25.57 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–5 अर्जित ब्याज रु0 13.20 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

शासनादेश संख्या 875(1)/वित्त अनुभाग-3/2003 दिनांक 30 अप्रैल 2003 के अनुसार समेकित निधि से आहरित धनराशियों पर अर्जित ब्याज को राजकोष मे लेखाशीर्षक 0049(ब्याज प्राप्तियाँ)–04–800-12 मे जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के अंतर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं से संबन्धित बही-खातों की नमूना जांच मे संप्रेक्षा ने पाया कि कार्यालय द्वारा बैंक बचत खातों से अर्जित ब्याज की धनराशि रु. 13.20 लाख को राजकोष मे जमा नहीं किया गया था, जबकि उक्त अर्जित ब्याज नियमानुसार राजकोष मे जमा कराया जाना चाहिए था। इस प्रकार अर्जित ब्याज-राशियों का विवरण निम्नवत था-

(रु. लाख मे)

क्र. संख्या	खाता संख्या	दिनांक	ब्याजराशि
1.	081000110052475 PNB	03.09.2016	1.44
2.	081000110052475 PNB	03.12.2016	1.11
3.	081000110052475 PNB	03.03.2017	0.54
4.	088100110039304 PNB	06.09.2014	2.46
5.	088100110039304 PNB	06.03.2015	2.64
6.	088100110039304 PNB	08.09.2015	1.71
7.	088100110039304 PNB	05.03.2016	1.17
8.	088100110039304 PNB	05.06.2016	0.53
9.	088100110039304 PNB	03.09.2016	0.50
10.	088100110039304 PNB	03.12.2016	0.73
11.	088100100140027 PNB	05.06.2016	0.08
12.	088100100140027 PNB	03.09.2016	0.14
13.	088100100140027 PNB	03.12.2016	0.15
		योग	**13.20**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी, वर्तमान में बैंक खातों में ब्याज की राशि रखी गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार बैंक बचत खातों से अर्जित ब्याज की राशि राजकोष में जमा की जानी चाहिए थी।

अतः अर्जित व्याज रु0 13.20 लाख को राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–6 अग्रिम धनराशि रु0 12.12 लाख का समायोजन न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के स्वैप कार्यक्रम से सम्बन्धित पेयजल योजनाओं के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि दो पेयजल योजनाओं (खाण्ड एवं विलामाथा तोक) के निर्माण हेतु मशालगांव एवं थडुंग ग्राम पंचायतों को रु0 36.27 लाख की धनराशि अग्रिम के रुप में प्रदान की गई थी, जिसमें से मात्र लेखापरीक्षा अवधि तक रु0 24.14 लाख की धनराशि का ही समायोजन किया गया है तथा रु0 12.12 लाख की धनराशि 12/2015 से असमायोजित पड़ी हुई थी, जबकि स्वैप कार्यक्रम दिनॉक 31.12.2015 में समाप्त हो चुका था। असमायोजित धनराशि का विवरण निम्न था:–

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	अग्रिम राशि (रु0 में)	समायोजित राशि	अवशेष राशि
1.	मशालगांव (खाण्ड पे0यो0)	3011760.00	2068666.00	943094.00
2.	थडुंग (विलामाथा तोक पे0यो0)	615360.00	346241.00	269119.00
योग:–		**3627120.00**	**2414907.00**	**1212213.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया कि वसूली हेतु जिला अधिकारी को पत्र लिखा गया है, प्रशासन के माध्यम से वसूली की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अविलम्ब अवशेष राशि की वसूली की जानी चाहिए थी।

अतः अग्रिम धनराशि रु0 12.12 लाख का असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–7 दावारहित राशि रु0 1.22 लाख राजस्व में जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VI के प्रस्तर–622 प्रावधानित करता है कि निर्माण कार्यों से सम्बन्धित खातों में विभिन्न मदों में पडी हुई तीन वर्ष से अधिक समय से दावारहित धनराशि को केन्द्र/राज्य के राजस्व में जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के मार्च 2015–16 के अन्तिम लेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि निर्माण शाखा कार्यालय में विगत चार से नौ वर्षों के मध्य दावारहित राशि रु0 1.22 लाख पड़ी हुई थी, जो कि नियमानुसार मार्च के अन्त में उचित राजस्व शीर्ष में क्रेडिट की जानी चाहिए थी। दावारहित राशि का विवरण निम्नवत था:–

क्रम संख्या	नाम	लेखाशीर्ष	वर्ष (जब से राशि असमायोजित है)	धनराशि
1.	श्री एस0के0 सैंग	13700	04/2008	31250.28
2.	श्री एस0एस0 परमार	14200	04/2008	14491.00
3.	श्री एन0 अग्रवाल	14300	03/2013	30000.00
4.	श्री एस0एस0पी0 जैन	14300	03/2013	46545.00
	योग:–			**122286.28**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित कार्मिकों का स्थानान्तरण उत्तर प्रदेश हो जाने एवं पता न होने के कारण लम्बित राशि खातों में रखी गई है। उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार तीन वर्ष से अधिक समय से दावारहित धनराशि को राजस्व के रुप में जमा किया जाना चाहिए था।

अतः दावारहित राशि रु0 1.22 लाख को राजस्व में जमा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग– II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– II 'ब' प्रस्तर संख्या
16 / 2006–07	1, 2, 3, 4 एवं 5	1
28 / 2008–09	1	1, 2, 3, 4 एवं 5
58 / 2010–11	1, 2, 3 एवं 4	1 एवं 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
16 / 2006–07	भाग– II 'अ' प्रस्तर–1	समस्त योजनाओं को स्वीकृत धनराशि के अनुरुप पूर्ण, हस्तान्तरण एवं लेखाबंदी की जा चुकी है।	योजनाओं को स्वीकृत धनराशि के अनुरुप पूर्ण, हस्तान्तरण एवं लेखाबंदी किए जाने के कारण प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग– II 'अ' प्रस्तर–2	योजनाओं के रख– रखाव पर व्यय जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के अनुरुप किया गया।	अधिशासी अभियंता के प्रतिउत्तर एवं वार्ता के आधार पर प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग– II 'अ' प्रस्तर–3	सामग्री के ढुलान की दूरी तथा व्यय शिड्यूल रेट में जोड दिया जाता है तथा कार्य पंजिका में व्यय कार्टेज के मद में ही भारित किया जाता है जिस हेतु प्राक्कलन में सामग्री की ढुलाई का प्राविधान किया जाता है।	साक्ष्य के अभाव में प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग– II 'अ' प्रस्तर–4	खालसी योजना का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, देवली योजना में अवर अभियंता के नाम विविध अग्रिम डाला गया है एवं अरुण योजना में कार्य पूर्ण कर ग्रामसभा को हस्तगत किया जा चुका है।	तीन योजनाओं में से दो योजनाओं पर अभी भी कार्रवाई किया जाना लम्बित है। अतः प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग– II 'अ' प्रस्तर–5	केन्द्र पोषित योजनाओं पर भारित सेन्टेज की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की गई क्योंकि शासन के आदेश के क्रम में सेन्टेज भारित किया गया था।	साक्ष्य के अभाव में प्रस्तर यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग– II 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	

28/2008–09	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर–1	योजना पर कार्य पूर्ण कर जल संस्थान को हस्तगत की जा चुकी है।	अधिशासी अभियंता के प्रतिउत्तर एवं जल संस्थान के पत्रांक के साक्ष्य के आधार पर प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर–2	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर–3	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर–4	– तदैव –	– तदैव –	
	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर–5	– तदैव –	– तदैव –	
58/2010–11	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर–2	पुनरीक्षित प्राक्कलन विरचित कर स्वीकृति प्राप्त कर ली है। योजना के समस्त कार्य पूर्ण कर लेखाबंदी कर दी गई है।	अधिशासी अभियंता के प्रतिउत्तर एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर–3	योजना के अन्तर्गत वास्तविक रुप से कराए गये कार्य का पुनरीक्षित प्राक्कलन विरचित किया जा रहा है।	पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत होने तक प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर–4	योजना पर स्वीकृत धनराशि में ही व्यय किया गया एवं कार्य पूर्ण कर जल संस्थान को हस्तगत किया जा चुका है। योजना का लाभ ग्रामवासियों को प्राप्त हो रहा है।	अधिशासी अभियंता के प्रतिउत्तर एवं साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तर निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर–2	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अद्यतन अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

,–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) किशनपुर, पुजारगांव, कुमाली एस0सी0पी0, उत्तरकाशी सुधार कार्य एवं भल्डगॉव पेयजल योजनाऐं

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई0 सीताराम	अधिशासी अभियंता	30.07.2009 से 30.09.2011
2.	ई0 आलोक कुमार	अधिशासी अभियंता	01.10.2011 से 09.10.2014
3.	ई0 एस0पी0 गुप्ता	अधिशासी अभियंता	09.10.2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

4. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्व रहे।

   1. श्री प्रथम सिंह वर्थवाल, दिनॉक 24.12.2010 से 30.09.2014 तक
   2. श्री बी0पी जोशी, 01.10.2014 से 15.07.2015 तक
   3. श्री एस0एन0 नौटियाल, दिनॉक 15.07.2015 से वर्तमान तक

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र